न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **11/25 (वाद)**

GCMS No. : 2025/19

1. श्री पुरा स्व. भगा गाडरी निवासी होली तहसील मावली जिला उदयपुर।

............वादी

बनाम

1. श्री काना पिता स्व. भगा गाडरी निवासी होली तहसील मावली जिला उदयपुर।
2. श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय मावली जिला–उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 11.07.2025

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा होली, पटवार हल्का बांसलिया, तह० मावली, जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 326, 339 किता 2 कुल रकबा 0.7446 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/12 हिस्सा शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। वादी व प्रतिवादी सख्या 1 दोनों सगे भाई होकर प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त वर्णित आराजीयात में अपना 1/12 हिस्सा दिनांक 15.02.2021 को जरिये हकत्याग पत्र से वादी के पक्ष में हकत्याग कर हकत्याग पत्र की रजिस्ट्री वादी के पक्ष में करा उक्त आराजीयात का कब्जा वादी को सिपुर्द कर दिया तब से वादी उक्त हिस्से की आराजीयात का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं।

2. यह कि वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा वादी को रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र से प्राप्त हुआ व रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र के आधार पर वादी के नाम दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण खोल स्वीकृत हेतु तहसीलदार मावली के यंहा प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार मावली ने उक्त नामान्तरण दस्तावेज पर उप पंजीयक के हस्ताक्षर नहीं होना मानते हुए अस्वीकृत कर दिया, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 15.02.2021 को किये गये हकत्याग पत्र के प्रत्येक पृष्ठ के पुष्टि पर उप पंजीयक के हस्ताक्षर होकर विधिवत तरीके से हकत्याग पत्र की रजिस्ट्री करवाई लेकिन तहसीलदार ने दस्तावेज के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रत्येक पृष्ठ के पुष्टि पर उप पंजीयक के हस्ताक्षर को देखे बिना ही नामान्तरण निरस्त कर दिया हैं जो गलत हैं इसलिये वादी के पक्ष में किये गये हकत्याग पत्र दिनांक 15.02.2021 के आधार पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराना आवश्यक हो गया हैं। उक्त वर्णित आराजीयात पर वादी के पक्ष में किये गये हकत्याग पत्र दिनांक 15.02.2021 से वादी का कब्जा होकर वादी उक्त आराजीयात का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द कर सकता हैं इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराना आवश्यक हो गया हैं कि वाद की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 किसी अन्य को विक्रय हस्तानान्तरण नहीं करें, न खुर्द बुर्द करें, वादी को उक्त हिस्से से उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक करने देवें, इसमें कोई रूकावट पैदा नहीं करें, उक्त कार्य न तो प्रतिवादी स्वयं करें, न ही अपने नौकर, चाकर, एजेन्टे एजेन्ट इत्यादि से करावें।

3. यह कि वाद कारण दिनांक 08.12.2024 को पैदा हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के पक्ष में किये गये हकत्याग पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 ने नामान्तरण निरस्त कर दिया तब हुआ व पैदा होकर निरन्तर जारी हैं।

4. अंत में निवेदन किया कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगणों के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावें कि उक्त वर्णित आराजीयात जो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के पक्ष में दिनांक 15.02.2021 को किये गये हकत्याग पत्र के आधार पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावें, तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराया जावें। उक्त वर्णित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 किसी अन्य को विक्रय हस्तानान्तरण नहीं करें, न खुर्द बुर्द करें, वादी को उक्त हिस्से से उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक करने देवें, इसमें कोई रूकावट पैदा नहीं करें, उक्त कार्य न तो प्रतिवादी स्वयं करें, न ही अपने नौकर, चाकर, एजेन्ट इत्यादि से करावें।

5. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब दावा पेश नही करना चाहा।

6. प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 स्वयं वादी श्री पूरा पिता भागा गाडरी का पेश कर दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। वादी द्वारा दस्तावेज मौजा होली की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 1 प्रदर्श 1, मौजा होली की नामान्तरकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:04 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 580 दिनांक 12.08.2024 की नकल प्रदर्श 2, रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 01.03.2021 पेज 1 से 4 असल प्रदर्श 3 एवं छायाप्रति पत्रावली पर प्रदर्श 3 ए करवाये गये। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि प्रदर्श 1 मौजा होली पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 108 पर दर्ज आराजी नम्बर 326, 339 किता 2 कुल रकबा 0.7446 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 काना पुत्र भगा के नाम 1/12 हिस्सा दर्ज है तथा शेष हिस्सा वादी एवं अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज है। प्रदर्श 2 ए रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 01.03.2021 से वादग्रस्त भूमि में खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने नाम दर्ज 1/12 हिस्सा का हकत्याग वादी के पक्ष में कर दिया गया। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 580 पटवारी हल्का द्वारा अंकित कर अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार को प्रेषित किया गया। तहसीलदार द्वारा डाक्युमेन्ट में उप पंजीयन के हस्ताक्षर नही होने से अस्वीकृत किया गया। प्रदर्श 3 हकत्याग पत्र का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि हकत्याग पत्र पर उप पंजीयक के हस्ताक्षर है। अर्थात तहसीलदार द्वारा हकत्याग पत्र का अवलोकन किए बिना गलत टिप्पणी अंकित करते हुए नामान्तरकरण को खारिज किया गया जो कि न्यायोचित नही है। वैसे भी प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं द्वारा स्वीकार किया गया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि में से मैने मेरा 1/12 हिस्से का हकत्याग वादी के पक्ष में कर दिया एवं कब्जा भी सिपुर्द कर दिया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपने नाम दर्ज हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 01.03.2021 को वादी के पक्ष में हकत्याग कर दिया गया। हकत्याग की दिनांक से ही वादग्रस्त भूमि में वादी खातेदार हो चुका था। केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र अनुसार अमल दरामद नही किया है। जबकि राजस्व कर्मचारियो को सर्वप्रथम रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र के आधार पर नामान्तकरण पारित करना चाहिए था। नामान्तकरण में गलत टिप्पणी करके नामान्तकरण खारिज करना न्यायोचित नही है। प्रतिवादी संख्या 1 भी स्वीकार कर रहा है कि उसके द्वारा हकत्याग किया गया है तथा कब्जा भी वादी को सिपुर्द कर दिया गया है। ऐसे में रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:04 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार वादी को खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा होली पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 108 पर दर्ज आराजी नम्बर 326, 339 किता 2 कुल रकबा 0.7446 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 काना पुत्र भगा के नाम 1/12 हिस्सा खातेदारी हक से दर्ज है, के बजाय वादी पुरा पिता स्व. भगा गाडरी को 1/12 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर उक्त आदेशानुसार वादी का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:04 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री पुरा स्व. भगा गाडरी निवासी होली तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....वादी

बनाम

1. श्री काना पिता स्व. भगा गाडरी निवासी होली तहसील मावली जिला उदयपुर।
2. श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय मावली जिला–उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 11/25 (वाद) GCMS No. – 2025/19

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा होली पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 108 पर दर्ज आराजी नम्बर 326, 339 किता 2 कुल रकबा 0.7446 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 काना पुत्र भगा के नाम 1/12 हिस्सा खातेदारी हक से दर्ज है, के बजाय वादी पुरा पिता स्व. भगा गाडरी को 1/12 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर उक्त आदेशानुसार वादी का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 11.07.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:04 IST
Reason: SelfAttested